रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231310
CG-DL-E-23112021-231310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4474]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943
No. 4474]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

का.आ. 4841(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एतदद्वारा हरियाणा राज्य सरकार द्वारा संस्थापित प्राधिकरण "हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण" पंचकुला (PAN AAALH0475J) को उस प्राधिकरण को उत्पन्न होने वाली विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती हैः-

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनार्थ केंद्रीय प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (एनएएलएसए) से प्राप्त अनुदान;

(ख) हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान अथवा दान;

(ग) न्यायालयों के आदेश के अंतर्गत प्राप्त राशि;

(घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; तथा

(ङ) जमा राशियों पर अर्जित ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला,-

(क) कोई वाणिज्यिक कार्य-कलाप नहीं करेगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय के कार्य-कलाप तथा प्रकृति पूरे वित्त वर्ष अपरिवर्तित रहेंगे; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए लागू किया गया समझा जाएगा तथा वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 तथा 2024-2025 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 133 /2021/फा.स.300196/7/2021-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापनः प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।